राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 859/2023

आशुतोष मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, जयपुर (राज.)।
3. संयुक्त निदेशक, कॉलेज शिक्षा विभाग, जयपुर (राज.)।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय कॉलेज, नांगल राजावतान, दौसा (राज.)।
5. प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका कॉलेज, दौसा (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 06.02.2023
आदेश की दिनांक : 16.05.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री मानवेन्द्र सिंह चौधरी, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 07.12.2022 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति सहायक आचार्य के पद पर वर्ष 2006–07 में हुई थी और उसने दिनांक 26.03.2008 को राजकीय महाविद्यालय, आबूरोड में कार्यग्रहण किया। तत्पश्चात् अपीलार्थी को एक माह के लिये कार्यव्यस्थार्थ हेतु सिरोही भेजा गया। अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 20.10.2016 के द्वारा आबूरोड से कोटडा स्थानान्तरित किया गया, जिसे अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष चुनौती दी और अधिकरण द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया। अपीलार्थी की सेवायें हमेशा

संतोषजनक रही है। आलोच्य आदेश दिनांक 07.12.2022 द्वारा अपीलार्थी को राजकीय महाविद्यालय, नागंल राजावतान, दौसा से राजकीय महाविद्यालय, डूंगरपुर स्थानांतरित किया गया, जिसमें शर्त संख्या 5 यह थी कि महाविद्यालयों में शून्य की स्थिति बनती है, वहां बिना आयुक्तालय की अनुमति के सह/सहायक आचार्य को कार्यमुक्त नहीं किया जावे, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुये प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 07.12.2022 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया है और किसी भी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का अधिकार नहीं है। अपीलार्थी द्वारा विभागीय आदेश की गलत तरीके से व्याख्या की गई है। शून्य की स्थिति से अर्थ किसी विषय विशेष में नहीं अपितु महाविद्यालय में सह/सहायक आचार्य की शून्य की स्थिति बनने पर कार्मिक को आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा से पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना कार्यमुक्त नहीं करने को आदेशित किया गया है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति सहायक आचार्य के पद पर वर्ष 2006–07 में हुई थी और उसने दिनांक 26.03.2008 को राजकीय महाविद्यालय, आबूरोड में कार्यग्रहण किया। आलोच्य आदेश दिनांक 07.12.2022 द्वारा अपीलार्थी को राजकीय महाविद्यालय, नागंल राजावतान, दौसा से राजकीय महाविद्यालय, डूंगरपुर स्थानांतरित किया गया, जिसे अपीलार्थी द्वारा अधिकरण के समक्ष चुनौती दी गई और अधिकरण द्वारा स्थगन आदेश न देते हुये प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 27.02.2023 जवाब हेतु नोटिस जारी किये जाने का आदेश दिया। परंतु अपीलार्थी द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 4483/2023 प्रस्तुत की गई, जिसके क्रम में माननीय उच्च न्यायालय अंतरिम आदेश दिनांक 16.03.2023 को जारी करते हुये यह निर्देश दिये कि आलोच्य आदेश दिनांक 07.12.2022 एवं कार्यमुक्त आदेश दिनांक 31.01.2023

की क्रियान्विति स्थगित रहेगी तथा अधिकरण अपील को मेरिट पर निर्णय करते वक्त उक्त अंतरिम आदेश को पुष्टि, अग्रिम आदेश अथवा प्रावकाश करने हेतु स्वतंत्र है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर अंतरिम आदेश दिया गया कि आलोच्य आदेश के बिंदु संख्या 5 में निम्नलिखित शर्त अंकित की गई है :–

> *''प्राचार्य, संबंधित राजकीय महाविद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि जिन महाविद्यालयों में शून्य की स्थिति बनती है, वहां बिना आयुक्तालय की अनुमति के सह/सहायक आचार्य को कार्यमुक्त नहीं किया जावे।''*

अपीलार्थी को उक्त शर्त के बावजूद भी आलोच्य आदेश दिनांक 07.12.2022 की पालना में दिनांक 31.01.2023 को कार्यमुक्त कर दिया गया, जो उक्त शर्त के विपरीत है। इस प्रकार हमारे मत में आलोच्य आदेश दिनांक 07.12.2022 एवं कार्यमुक्त आदेश दिनांक 31.01.2023 नियम विरूद्ध हैं। अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है एवं आलोच्य आदेश दिनांक 07.12.2022 एवं कार्यमुक्त आदेश दिनांक 31.01.2023 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जाता है तथा प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी का स्थानान्तरण नये सिरे से नियमानुसार करने हेतु स्वतंत्र है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम आदेश दिनांक 16.03.2023 की पुष्टि (confirm) की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य